International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक सम्पदा अधिकार : एक विष्लेषण

दीप्ती लोदवाल

ग्रंथपाल, शासकीय नेहरू स्नात., महाविद्यालय आगर मालवा

शोध सार

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के द्वारा यह सुनिष्चित किया जाता है कि उक्त अविष्कार या खोज का वास्तविक आविष्कारक या खोजकर्ता अपनी खोज के श्रेय से वंचित न रह जाये तथा अन्य कोई व्यक्ति उसके आविष्कार को अपने नाम से प्रकाषित या प्रचलित न कर सके। इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा अधिकार के द्वारा खोजकर्ता या आविष्कारक के मौखिक कार्य एवं अधिकार को संरक्षित किया जाता है एवं उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। एक व्यक्ति अथवा समूह के बौद्धिक ज्ञान एवं चिंतन मनन के सृजित खोज के लिए प्रदान किये गये अधिकार बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहलाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रकारों प्रतिलिप्याधिकार(Copyright), पेटेन्ट (Patent), ट्रेडमार्क (Trademark),औद्योगिक डिजाईन (Industrial Designs), प्लान्ट वेराइटिज पौधों की किस्में (Plant Varieties), भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications), एकीकृत सर्किट का डिजाईन लेआउट (Layout Design of Integrated Circuit), गोपनीय सूचना (Confidencial Information)का विष्लेषण किया गया।

शब्दकुंजी:बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, TRIPS, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक

अनादि काल से ही मानव प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है, और इस उत्सुकता के निदान के लिए वह अपने बौद्धिक ज्ञान का उपयोग करता रहा है। जैसे – जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता गया वैसे–वैसे उसके द्वारा नवीन अविष्कार किये गये। पहिये एवं आग का अविष्कार मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता से किया, जो कि मानव जीवन के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में सिद्ध हुआ।

मानव द्वारा अब तक कई खोज एवं अविष्कार किये हैं, तथा ये सभी उसने अपनी खोजने, आविष्कार करने एवं सतत् ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही किये हैं। नवाचार एक व्यक्ति या समूह द्वारा किये गये सघन एवं गहन प्रयत्नों के पश्चात् उत्पन्न होते हैं,क्योंकि आविष्कार उसकी दिमाग की रचना है। दिमाग की रचना को बौद्धिक सम्पदा कहा जाता है। उसकी बौद्धिक सम्पदा का कोई अनुचित प्रयोग न कर सके इसके लिए उसके पास अधिकार होना चाहिये कि बिना उसकी अनुमति के उसकी बौद्धिक सम्पदा का कोई प्रयोग अथवा दुरूपयोग न कर सके। वह स्वयं की बौद्धिक सम्पदा को विभिन्न कानून द्वारा संरक्षित कर सकता है।

जेरेमी फिलिप्स के अनुसार,''बौद्धिक सम्पदा में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई मौलिक कृति, डिजाईन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, पेटेंट आदि बौद्धिक सम्पदा अधिकार हैं।'' बौद्धिक सम्पदा का स्वामित्व भी भौतिक धन की तरह ही होता है। इन बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के उद्देष्य से बनाये गये कानून को बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहा जाता है। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित कर सकता है। बौद्धिक सम्पदा अमूर्त स्वरूप में होती है, किन्तु इन्हें सामान्य व्याख्या के अन्तर्गत् सम्पत्ति की मान्यता प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति या संस्था की बौद्धिक सम्पदा का उपयोग करने से पूर्व उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है।अन्यथा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 26 अप्रेल को ''विष्व बौद्धिक दिवस'' मनाया जाता है।

विष्व बौद्धिक सम्पदा संगठन संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं विष्व में बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1967 में इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देष इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं किन्तु यह बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में 193 देष इस संगठन के सदस्य हैं। वर्ष 1975 में भारत इस संगठन का सदस्य बना था।

बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कई सदियों से विभिन्न देषों ने भी अपने अपने कानून बनाये हैं। विष्व व्यापार संगठन(World Trade Organization)की स्थापना करने वाले समझौते के रूप में सन् 1995 में Trade related aspect of Intellectual Property rights (TRIPS) लागू हुआ। यह समझौता विष्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों पर लागू होता है, तथा जो भी देष इस संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है और इसी के आधार पर अपना कानून बनाना है।

Trade related aspect of Intellectual Property rights (TRIPS)में सात तरह के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में बताया गया है। भारत में निम्न आठ अधिनियम के अन्तर्गत् बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं –

1. प्रतिलिप्याधिकार, 1957 (The Copyright Act, 1957)
2. ट्रेडमार्क,1999 (The Trade Marks Act, 1999)
3. पेटेन्ट कानून (The Patents Act, 1970)
4. डिजाईन कानून, 2000 (The Design Act, 2000)
5. भौगोलिक संकेतक कानून,1990 (The Geographical Indications of Goods Act, 1999)
6. जैवविविधता अधिकार, 2002 (The Biological Diversity Act, 2002)
7. The Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act, 2001

8. The semiconductor integrated circuits layout design Act, 2000

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रकार :–

1. प्रतिलिप्याधिकार, (Copyright)
2. पेटेन्ट(Patent)
3. ट्रेडमार्क(Trademark)
4. औद्योगिक डिजाईन(Industrial Designs)
5. प्लान्ट वेराइटिज पौधों की किस्में(Plant Varieties)
6. भौगोलिक संकेतक(Geographical Indications)
7. एकीकृत सर्किट का डिजाईन लेआउट(Layout Design of Integrated Circuit)
8. गोपनीय सूचना(Confidencial Information)

1. प्रतिलिप्याधिकार, 1957 (The Copyright Act, 1957)

प्रत्येक युग में मानव अपने ज्ञान, अनुभवों एवं विद्वता को किसी न किसी रूप में प्रकट करते आया हैं। यदि बौद्धिक क्षेत्र का तथा कलात्मक कृतियाँ इस युग की संस्कृति की विषेषता को प्रदर्षित करती है। साहित्य चाहे किसी भी रूप में प्रस्तुत किया गया हो। वह प्रतिलिप्याधिकार कानून (Copy Right Act)के अन्तर्गत् सम्मिलित हो सकता है। प्रतिलिप्याधिकार कानून हमारे आधुनिक समाज की संस्कृति को आकार देने में सहायता करता हैं। यही वह आधार है, जो कि यह निष्चित करता है कि हम कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं,कौन सी कला का आनन्द लेते हैं, कौन सा

संगीत सुनते हैं, यह प्रतिलिप्याधिकार ही एक मात्र ऐसा सहारा हैं जो कृतियों के रचना निर्माण तथा उनके प्रसारण को प्रोत्साहित करता है।

प्रतिलिप्याधिकार से अभिप्राय किसी साहित्यिक संगीतात्मक कलात्मक, कृति अथवा उसके रूप को प्रकाषित तथा बेचने के लिए एक मात्र कानूनसंरक्षित करने का अधिकार प्रदान करना।

प्रतिलिप्याधिकार ऐसा बौद्धिक अधिकार है, जो लेखकों को कलाकारी, तथा रचियताओं की कृतियों को दूसरों द्वारा बिना अनुमति पुर्नउत्पादन प्रसारित करने से रक्षित करता है।

प्रतिलिप्याधिकार किसी के विचार और अवधारणा की रचना नहीं करता है, बल्कि उस तरीके की रक्षा करता हैं। जिसमें एक लेखक अपने विचार और अवधारणा को व्यक्त करता हैं। उदाहरणार्थ यदि एक वैज्ञानिक कोई लेख प्रकाषित करता हैं, जिसमें वह एक दवाई बनाने की नयी प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता हैं ऐसी अवस्था में प्रतिलिप्याधिकार दूसरों को उस लेखक की प्रतिलिपि करने से रोकता है, परन्तु यह किसी को दवाई बनाने की उस प्रक्रिया का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता, प्रक्रिया संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक को Patant प्राप्त करना आवष्यक हैं। Copy Right की मूल समस्या को दो प्रकार से देखा जाता है। कृतियों के निर्माता जिन्होंने समाज की सेवा के लिए अपना समय कृतियों तक लोगों को अभिगम तथा उपयोग की सुविधा होनी चाहिए।

उपर्युक्त दोनों पहलूओं को दृष्टिगत् रखते हुए बहुत से देषों में लेखक व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बौद्धिक कृतियों को लोगों को उपलब्ध कराने हेतु ब्वचल त्पहीज बनाए है।

1863 में Berne (स्विजरलैण्ड) में एक सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन का उद्देष्य था विदेषी लेखकों के साथ भेदभाव को रोकना तथा प्रत्याकृत कृतियों की सुरक्षा के लिए एक जैसा व्यवहार कायम रखना इस सम्मेलन में Copy Rightकी व्याख्या तथा उपयुक्ता के विषय में विवाद का निपटारा करने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय को अधिकृत किया गया।

1952 में जिनेवा में लगभग 40 देषों में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें विष्वविद्यालय Copy Right Convention पर हस्ताक्षर किए गए। यह कृतियों की रक्षा करता है।

भारत में प्रतिलिप्याधिकार :–

प्रिंटिंग प्रेस के अविष्कार के साथ पंद्रहवी शताब्दी से ही लिखित कार्यो को संरक्षित करने की आवष्यकता महसूस होने लगी। भारत में सर्वप्रथम Copy Right 1709 में में बनाया गया। इसके बाद 1842 में Literary Copy Right Act बनाया गया 1911 में इग्लैंण्ड में Copy Right को संहिता बद्ध किया गया कि वह उसके प्रावधानों में संषोधन तथा परिवर्तन कर सकती हैं जिसके फल स्वरूप भारत के गवर्नर

जनरल ने Indian Copy Right Act 1914 में निर्माण किया स्वतंत्रता के बाद वांछित संषोधन के साथ इसका नाम Copy Right 1957 रखा गया।

2. **पेटेंट**(Patent) :–

एक पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो धारक को एक निर्धारित अवधि के लिए एक आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया के लिए विषेष अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी आविष्कार का उपयोग करना चाहता है उसे पेटेंट धारक से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। पेटेंट के उदाहरणों में हवाई जहाज के लिए राइट ब्रदर्स का पेटेंट, प्रकाष बल्ब के लिए थामस एडिसन का पेटेंट तथा टेलीफोन के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का पेटेंट शामिल है। पेटेंट तीन तरह के होते हैं– यूटिलिटी, डिजाइन और प्लान्ट।

- **यूटिलिटी अथवा उपयोगिता पेटेंट :–**

यूटिलिटी पेटेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया, मषीन, निर्माण की वस्तु या मामलों की संरचना, या उसके किसी नए उपयोगी सुधार का आविष्कार या खोज करता है। अब तक uspto (United State Patent and Trademark Office) में दायर किये गये अधिकांष पेटेंट आवेदन यूटिलिटी एप्लिकेषन है।

- **डिजाइन पेटेंट :–**

डिजाइन पेटेंट किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो निर्माण के किसी लेख के लिए एक नया, मूल और सजावटी डिजाइन का आविष्कार करता है। डिजाइन पेटेंट एक कार्यात्मक वस्तु के सजावटी डिजाइन की रक्षा करता है।

- प्लाण्ट पेटेंट :–

प्लाण्ट पेटेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो पौधे की किसी विषिष्ट एवं नयी किस्म का अविष्कार आ खोज करता है और अलैंगिक रूप से पुनरूत्पादन करता है।

3. **ट्रेडमार्क** (Trademark):–

ट्रेडमार्क कोई भी शब्द, वाक्यांष, प्रतीक, डिजाइन या इन वस्तुओं का संयोजन हो सकता है जो आपके सामान या सेवाओं की पहचान करता है। इसी

से ग्राहक आपको बाजार में पहचानते हैं और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं।

शब्द ''ट्रेडमार्क'' ट्रेडमार्क और सेवा चिन्ह दोनों को संदर्भित कर सकता है। ट्रेडमार्क का उपयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। जबकि सेवा चिन्ह का उपयोग सेवाओं के लिए किया जाता है।

एक ट्रेडमार्क आपके सामान या सेवाओं के स्रोत की पहचान करता है, आपके ब्राण्ड़ के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है एवं आपको जालसाजी और धोखाधड़ी से बचाने में मदद करता है। ट्रेडमार्क के संबंध में एक गलतफहमी यह है कि ट्रेडमार्कहोने का अर्थ है आप कानूनी रूप से किसी विषेष शब्द या वाक्यांष के स्वामी हैं और दूसरों को इसका उपयोग करने से रोक सकते हैं। यद्यपि आपके पास सामान्य रूप से शव्द या वाक्यांष पर अधिकार नही है। केवल यह है कि उस शब्द या वाक्यांष का उपयोग आपकी विषिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के साथ कैसे किया जा सकता है।

4. औद्योगिक डिजाईन(Industrial Designs):–

एक औद्योगिक डिजाईन अधिकार एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार है। जो उन वस्तुओं के दृष्य डिजाईन की रक्षा करता है जो विषुद्ध रूप से उपयोगितावादी हैं।एक औद्योगिक डिजाईन में पेटर्न या रंग के आकार, विन्यास या संरचना का निर्माण होता है। या सौन्दर्य मूल्य वाले त्रिआयामी रूप में पेटर्न और रंग का संयोजन होता है। एक औद्योगिक डिजाईन एक उत्पाद, औद्योगिक वस्तु या हस्तकला का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दो या तीन आयामी पेटर्न हो सकता है।

औद्योगिक डिजाईन सुरक्षा कई उत्पादों पर लागू होती है जिसमें पैकेजिंग, प्रकाष व्यवस्था, गहने, इलेक्ट्रानिक सामान, वस्त्र और यहाँ तक की लोगो भी शामिल है। डिजाईन ऑब्जेक्ट गतिविधि को चार प्राथमिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है : वाणिज्यिक डिजाईन (Commercial Design), उत्तरदायी डिजाईन (Responsible Design), प्रायोगिक डिजाईन (Experimental Design) एवं विवेकपूर्ण या तर्कपूर्ण डिजाईन (Discursive Design)।

- **वाणिज्यिक डिजाईन :–** वाणिज्यिक डिजाईन वह है जिसे आमतौर पर औद्योगिक/ उत्पाद डिजाईन के रूप में समझा जाता है और इसमें हमारी व्यवसायिक गतिविधि का भारी बहुमत शामिल होता है।यह डिजाईन कार्य उन्मुख और बाजार द्वारा संचालित है डिजाईन का प्राथमिक उद्देष्य उपयोगी, उपयोग करने योग्य और वांछनीय उत्पाद बनाना है जो ग्राहक वहन कर सके और जो प्र्याप्त लाभ उत्पन्न कर।
- **उत्तरदायी डिजाईन :–** उत्तरदायी डिजाईन सेवा की अधिक मानवीय धारणा से प्रेरित है। यह डिजाईनउन लोगो के लिए उपयोगी, उपयोग करने योग्य और वांछनीय उत्पाद प्रदान करने के लिए काम करता है। जिन्हें बाजार द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जाता है। नैतिकता, करूणा, परोपकारिता जैसे मुद्दे काम को घेरे हुवे है चाहे यह विकासषील या विकसित देष के उपयोगकर्ता के लिए हों।

- **प्रयोगात्मक डिजाईन** :–यह व्यापक क्षेत्र के भीतर एक संकीर्ण पट्टी का प्रतिनिधित्व करता है,तथा इसका प्राथमिक उद्देष्य अन्वेषण, प्रयोग और खोज है। प्रायोगिक डिजाईन को इसके परिणाम की तुलना में इसकी प्रक्रिया को अधिक परिभाषित किया जा सकता है। यह अनुप्रयोग के अत्यंत विषिष्ट लक्ष्य से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि जिज्ञासा से प्रेरित होता है।
- **विवेकपूर्ण या तर्कपूर्ण डिजाईन** :–तर्कपूर्ण डिजाईन उपयोगितावादी वस्तुओं के निर्माण को संदर्भित करता है जिसका प्राथमिक उद्देष्य विचारों को सम्प्रेषित करना है। ये सोचने एवं मनन करने के उपकरण हैं वे मनोवैज्ञानिक, समाजषास्त्रीयऔर वैचारिक परिणाम के मूल एवं अधिकतर बहस योग्य मूद्दों के प्रति जागरूकता एवं समझ में वृद्धि करते हैं।

5. **पौध विविधता अधिकार** (Plant Varieties):– पौध विविधता अधिकार बौद्धिक सम्पदा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रूप है जिसका उपयोग अद्वितीय पौधो की किस्मों की रक्षा के लिए किया जाता है। पादप विविधता अधिकारों का अनुप्रयोग सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों पर कॉपीराइट के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले बौद्धिक सम्पदा संरक्षण और जैविक सामग्री सहित नवीन उत्पादों की एक विस्तृत श्रंखला पर पेटेंट के समान है।पौधो की नयी किस्मों के प्रजनन के लिए कौषल, श्रम, सामग्री और आर्थिक संसाधनों के मामले में काफी निवेष की आवष्यकता होती है और इसमें कई वर्ष लग सकते हैं।हालांकि एक नयी किस्म एक बार जारी होने के बाद कई मामलो में दूसरों द्वारा आसानी से

पुनरूत्पादित की जा सकती है ताकि इसके ब्रीडर को किये गये निवेष से पर्याप्त रूप से लाभ उठाने का मौका मिल सके। निरंतर प्रजनन प्रयास तभी संभव है जब निवेष को पुरस्कृत करने का अवसर हो। इसलिए समाज की मदद के लिए पौधों की नयी किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के इरादे से पौध विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली का पालन करना महत्वपूर्ण है। पादप विविधता अधिकार प्रणाली संरक्षण प्रदान करती है। और यह सुनिष्चित करके पादप प्रजनन में और नवाचार को प्रेरित करती है कि भविष्य के प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए पादप विविधता संरक्षण में सम्मानित किस्में दूसरों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। पादप विविधता अधिकार प्रणाली पादप प्रजनकों को संरक्षित किस्मों के बीजों के उत्पादन और बिक्री पर रॉयल्टी एकत्र करने की अनुमति देती है।

6. **भौगोलिक संकेतक**(Geographical Indications):–

एक भौगोलिक संकेत (GI)उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विषिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। भौगोलिक संकेत के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी दिये गये स्थान पर उत्पाद की

पहचान करनी चाहिये।

इसके अलावा उत्पाद के गुण, विषेषताएं या प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से मूल स्थान के कारण होनी चाहिये। चुंकि गुण उत्पादन के भैगोलिक स्थान पर निर्भर करते हैं, इसलिए उत्पाद और उसके उत्पादन के मूल स्थान के मध्य एक स्पष्ट संबंध होता है। उदाहरणार्थ कांगड़ा चाय को भारत में 2005 में जी आई टैग दिया गया था।

7. एकीकृत सर्किट का डिजाईन लेआउट(Layout Design of Integrated Circuit):–

एकीकृत सर्किट का डिजाईन में एकीकृत सर्किट लेआउट जिससे आई सी मास्कलेआउट या मास्क डिजाईन के रूप में भी जाना जाता है। प्लानर ज्यामितीय आकृतियों के संदर्भ में एक **एकीकृत सर्किट का प्रतिनिधित्व है, जो धातु** ऑक्साइड या सेमीकंडक्टर परतों के पेटर्न के अनुरूप होता है जो घटकों को बनाते हैं एकीकृत सर्किटों के लेआउट डिजाईन(स्थलाकृति) निर्माण के लिए एक एकीकृत सर्किट बनाने वाले तत्वों की त्रिआयामी व्यवस्था है। तत्वों की यह व्यवस्था और क्रम इलेक्ट्रानिक फंक्षन से अनुसरण करता है जो कि एक एकीकृत सर्किट को निष्पादित करता है।

एकीकृत सर्किट का लेआउट डिजाईन एकीकृत सर्किट के तत्वों का त्रिआयामी स्वभाव है तथा एकीकृत सर्किट के कुछ या सभी इन्टरकनेक्षन या ऐसे त्रिआयामी स्वभाव निर्माण के लिए एक एकीकृत सर्किटके लिए तैयार किया गया है।

8. गोपनीय सूचना/जानकारी(Confidencial Information) :–

गोपनीय जानकारी में गैर–सार्वजनिक जानकारी शामिल है जो संचार या अवलोकन के किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने वाली पार्टी को प्रकट या उपलब्ध करायी जाती है। अवलोकन के किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने वाली पार्टी को प्रकट की गयी या उपलब्ध करायी गयी गैर–सार्वजनिक जानकारी शामिल है।

यदि गोपनीय व्यावसायिक जानकारी गलत हाथों में चली जाती है तो व्यवसाय विफल हो सकता है या यह अपराधियों के हाथों पीड़ित हो सकता है। व्ययवसाय, कर्मचारियों एवं प्रबंधन की जानकारी को ताला एवं चाबी के नीचे रखना और केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें जानकारी जानने की आवष्यकता है, अपने डेटा को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के तरीकों में से एक है। गोपनीय जानकारी की तीन मुख्य श्रेणियाँ मौजूद हैः व्यापार, कर्मचारी और प्रबंधन की जानकारी।

उपसंहार :–जिस प्रकार कोई भौतिक धन का स्वामी होता होता है उसी प्रकार बौद्धिक सम्पदा का भी कोई स्वामी हो सकता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार रचनाओं एवं आविष्कारों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिससे रचनाकारों एवं अन्वेषकों को उनके काम से मान्यता एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्राथमिक कार्य नये उत्पादों के विकास और वितरण की रक्षा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और आविष्कारों, ट्रेडमार्क, डिजाईन, रचनात्मक सामग्री या अन्य अमूर्त सम्पत्तियों के निर्माण और शोषण के आधार पर नवीन सेवाओं का प्रावधान करना है। आई पी सुरक्षा आविष्कारों या खोजों को गुप्त रखने के बजाय जनता के लिए प्रकाषन, वितरण और प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करती है। बौद्धिक सम्पदा का संवर्द्धन एवं संरक्षण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, नवीन रोजगार एवं उद्योग उत्पन्न करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

संदर्भ सूची :–

1. https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-patent-copyright
2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Industrial_design_right#:~:text=An%20industrial%20design%20right%20is,objects%20that%20are%20purely%20utilitarian
3. https://www.wipo.int/geo_indications/en/#:~:text=What%20is%20a%20geographical%20indication,originating%20in%20a%20given%20place
4. https://knowledge-carolinashred-com.translate.goog/5-examples-of-confidential-information-in-the-office?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=rq#:~:text=Three%20main%20categories%20of%20confidential,noted%20in%20the%20subcategories%20below
5. https://afeias.com/knowledge-centre/current-content/
6. https://blog.ipleaders.in/know-about-trade-secret-threats-and-their-misappropriation/
7. https://visionconsultingalbania.com/trade-secret-part-of-industrial-property/
8. https://www.wipo.int/tradesecrets/en/tradesecrets_faqs.html
9. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/optical-illusion-can-you-spot-a-snake-in-the-forest-in-9-seconds-1679659352-1?ref=desktop_details_latest
10. https://www.indiafilings.com/learn/protection-of-plant-varieties-and-farmers-rights-act/